न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
30 / 2019	26.02.2019	**29.08.2022**

उनवान

1 सोमदत्त पुत्र मूंगा जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: वादी

बनाम

1 मुस्तार खॉ उर्फ मुस्तर खॉ पुत्र नामालूम जाति मेव निवासी नामालूम तहसील नामालूम जिला नामालूम।

2 राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: प्रतिवादीगण

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री श्रीपाल चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.08.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। विवादित हाल आराजी ख0नं0 755 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी सं0 1 व 2 ल0 11 के नाम के हो रहे राहिन के अंकन सहित प्रतिवादी सं0 1 मुस्तार खॉ उर्फ मुस्तर खॉ के नाम को हजफ किया जाकर कुल विवादित आराजियात के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी रही है कि स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्रानुसार कस्टोडियन भूमि के [illegible] वादी से वसूल की जाकर निर्धारित मद में जमा राजकोष कराया जाने उपरान्त ही तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.11 15:25:03 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखी जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

29-08-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
पेदन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)राज0।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0